जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड़, जयपुर, (राज॰) - 302026

वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ई–मेल - jrrsu@yahoo.com टेलीफैक्सः 0141 - 2850564

क्रमांक प.( ) जरारासंविवि/ अनु.केन्द्र / 24 / 10394

दिनांक- 21.10.2024

डॉ. गेह प्रदीप शर्मा
पुत्र श्री रामभरोसे शर्मा
45-ए, कनक विहार, स्कोन रोड,
विजयपथ, मानसरोवर,जयपुर- 302020

विषयः- एकल स्त्रोत उपापन के माध्यम से अनुसन्धान / शोध सलाहकार की सेवाऐं लिए लिये जाने के क्रम में।

सन्दर्भः- विश्वविद्यालय द्वारा जारी निविदा सूचना क्रमांक 10315 दिनांक 28.09.2024 के जारी पत्रानुसार प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 05.10.2024.एवं नेगोसिएशन हेतु प्राप्त पत्र दिनांक 09-10-2024 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर में संचालित अनुसन्धान केन्द्र की विभिन्न शोध गतिविधियों एवं अन्य अनुसन्धान / शोध कार्यों में परामर्श हेतु अनुसन्धान केन्द्र में एक अनुसन्धान / शोध सलाहकार की सेवाऐं आरटीपीपी नियम-2013 के नियम-17 के अनुसार एकल स्त्रोत उपापन पद्धति से लिये जाने हेतु आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 05-10-2024 एवं पारिश्रमिक दर के सम्बन्ध में नेगोसिएशन हेतु प्राप्त पत्र दिनांक 09-10-2024 के क्रम में प्रतिमाह पारिश्रमिक राशि रूपये- 33,300 / - (अक्षरे रूपये तैंतीस हजार तीन सौ मात्र) मासिक भुगतान पर आपकी सेवाऐं पूर्णतया संविदा आधार पर एक वर्ष की अवधि हेतु अथवा विश्वविद्यालय में अनुसन्धान / शोध सलाहकार की स्थाई / नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो निम्नलिखित कार्यो व शर्तों पर ली जाती हैः-

1. विश्वविद्यालय के सभी कार्य दिवसों में विश्वविद्यालय में निर्धारित समय में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
2. माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश देय / स्वीकृत होगा। अनुपस्थित दिनों हेतु पारिश्रमिक / मानदेय में से समानुपातिक रुप से प्रति दिन की दर से कटौती की जावेगी।
3. विश्वविद्यालय के परिनियम / अधिनियम / आदेशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
4. विश्वविद्यालय के उच्चाधिकारियों एवं निदेशक, अनुसन्धान केन्द्र द्वारा प्रदत्त आदेश / निर्देशों का पालन करना होगा।
5. सेवायें पूर्णतया संविदा आधार पर अस्थायी होगी तथा इस हेतु किसी भी न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं करेगें।
6. विश्वविद्यालय में अनुसन्धान / शोध सलाहकार की सेवाऐं एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा विश्वविद्यालय में अनुसन्धान / शोध सलाहकार की स्थाई / नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो ली जाती हैं।
7. कार्य सन्तोषप्रद नहीं होने पर विश्वविद्यालय द्वारा सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।
8. किसी प्रकार के अन्य लाभ / भत्ते देय नहीं होंगे।
9. विश्वविद्यालय में अनुसन्धान की व्यवस्था एवं समन्वय करना, अभिनव ज्ञान की सर्जना, अपव्यय के अवरोधन तथा कर्मकौशल में सुधार लाने हेतु अपने स्वयं के नेटवर्क से एक डाटाबेस तैयार करना, शोधार्थियों के कार्यों में सहयोग प्रदान करना अधिकतम सामाजिक एवं आर्थिक लाभों के लिए अनुसन्धान के प्राथमिकता क्षेत्रों को परिचिह्नित कर कार्यों को करना। सभी शास्त्रीय भाषाओं के दुर्लभ ग्रन्थों, उपयोगी प्रकाशनों एवं पाण्डुलिपियों के एक पुस्तकालय का निर्माण करना आदि अनुसन्धान / शोध सलाहकार के कार्य होंगे।
10. अनुसन्धान केन्द्र के कार्यालयीय कार्यों में सहयोग प्रदान करना होगा।
11. सेवायें न्यूनतम एक माह के नोटिस एवं एक माह के पारिश्रमिक / मानदेय जमा कराने पर समाप्त करने पर विचार किया जा सकेगा।

12. अनुसन्धान / शोध सलाहकार को विश्वविद्यालय में कार्यालय समय पर उपस्थित होना होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा अशैक्षणिक स्टाफ के लिए घोषित राजकीय अवकाश देय होंगे ।

13. विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक माह की उपस्थिति व कार्य का उचित प्रमाणन करने के पश्चात् ही पारिश्रमिक / मानदेय का भुगतान किया जाएगा ।

14. अनुबन्ध एक वर्ष की अवधि हेतु अनुसन्धान / शोध सलाहकार व कुलसचिव के मध्य अनुबन्ध में वर्णित शर्तों के अनुसार सम्पादित किया जाएगा ।

15. अनुसन्धान / शोध सलाहकार व विश्वविद्यालय के मध्य पारस्परिक सहमति से अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष के लिए और बढाई जा सकेगी ।

16. प्राप्त निविदा को स्वीकार करने के लिए विश्वविद्यालय बाध्य नहीं है । विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त निविदा को स्वीकार / अस्वीकार करने, और प्रक्रिया को रद्द करने तथा संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय अस्वीकार करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है ।

17. अनुसन्धान / शोध सलाहकार को निर्धारित प्रतिमाह देय राशि मानदेय का 10 प्रतिशत नियमानुसार टी.डी.एस. की कटौती कर विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान किया जाएगा ।

अनुबन्ध स्पष्ट रूप से रूपये- 500/- के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव व आपके मध्य सम्पादित किया जाएगा । कार्यादेश पत्र जारी होने की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में करार व अनुबन्ध पत्र सहित विश्वविद्यालय में उपस्थित होना आवश्यक है ।

उक्त कार्यादेश पत्र सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

SC

कुलसचिव

जरारासंविवि, जयपुर

क्रमांक प.( ) जरारासंविवि/ अनु.केन्द्र / 24 / 10395-400

दिनांक- 21.10.2024

प्रतिलिपि –

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, जरारासंविवि., जयपुर
2. निजी सहायक, कुलसचिव महोददय, जरारासंविवि, जयपुर
3. वित्त नियन्त्रक महोदय, जरारासंविवि, जयपुर
4. निदेशक, अनुसन्धान केन्द्र, जरारासंविवि, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि प्रतिमाह अनुसन्धान सलाहकार की मासिक उपस्थिति का प्रमाणित करते हुए लेखा शाखा के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही सम्पादित करायेंगे ।
5. आहरण वितरण अधिकारी, लेखा शाखा, जरारासंविवि, जयपुर
6. प्रभारी विश्वविद्यालय बैवसाईट, जरारासंविवि, जयपुर को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्यादेश को विश्वविद्यालय बैवसाईट व एस.पी.पी. पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित है ।
7. कार्यालय पत्रावली ।

19/10/24

कुलसचिव

जरारासंविवि, जयपुर